भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2550

जिसका उत्तर 4 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है।

13 अग्रहायण, 1941 (शक)

एकीकृत साइबर सुरक्षा

2550. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक :
श्री गजानन कीर्तिकर :
श्री बिद्युत बरण महतो :
श्री प्रतापराव जाधव :
श्री सुधीर गुप्ता :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में दर्जनों एजेंसियां भारत की साइबर अवसंरचना की सुरक्षा हेतु कार्य कर रही हैं तथा इन एजेंसियों का अपना व्यक्तिगत नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का एकला प्राधिकरण या एजेंसी स्थापित करने का प्रस्ताव है जो देश में रक्षा साइबर ऑपरेशन के सम्पूर्ण स्पेक्ट्रम के लिए उत्तरदायी होगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं तथा उक्त प्राधिकरण या एजेंसी की क्या संरचना होने की संभावना है तथा इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने हाल ही में हैकिंग और ऑनलाइन जांच पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आसूचना ब्यूरो के तत्वावधान के अंतर्गत कायकोर्ड (साइबर सहयोग केंद्र) शुरू किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार ने इस संबंध में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2020 भी बनाई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) : राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी) को आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 70क के तहत महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण के संबंध में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा, भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) को सूचना अधिनियम, 2000 की धारा 70क के तहत राष्ट्रीय एजेंसी साइबर घटना प्रतिक्रिया के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा, बैंकिंग, दूरसंचार, बिजली आदि के लिए संबंधित क्षेत्रीय विनियामक, क्षेत्रीय संगठनों के साइबर अवसंरचना के संरक्षण हेतु उपाय भी निर्धारित करता है।

(ख) : इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ एकल प्राधिकरण या एजेंसी स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है जो देश में सुरक्षित साइबर ऑपरेशन के पूरे स्पेक्ट्रम के लिए जिम्मेदार होगा।

(ग) : यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) : माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2018 को डीजीपी/आईजीपी के सम्मेलन में साइबर समन्वय केंद्र वेबसाइट (https://cycord.gov.in) का उदघाटन किया गया, जिसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) और अन्य सरकारी संगठनों के बीच सभी साइबर संबंधी मामलों को साझा करने के लिए एक वन-स्टॉप प्लेटफार्म बनाए जाने के लिए तैयार किया गया है। अभी तक, वेबसाइट का उपयोग विभिन्न पणधारकों के बीच प्रांसगिक सूचना के साझा करने के लिए किया जा रहा है। हालांकि, कायकोर्ड पोर्टल का मतलब हैकिंग और ऑनलाइन जांच का निपटान करना नही है।

(ड.) : राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2020 का मसौदा तैयार किया गया है जिसके लिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्यक की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी कार्यबल का गठन किया गया है। इस कार्यबल ने पणधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से अपना कार्य शुरू कर दिया है।

******